न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **10/2018 अपील रसद**

श्री अमरचन्द पिता कालूलाल मीणा, उचित मुल्य दुकान पलोदड़ा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.........................अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.........................रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर मुकदमा नम्बर 43/17 रसद तारीख फैसल 10.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः– श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री प्रद्युम्नसिंह राणावत, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–12.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की उचित मुल्य की दुकान की जॉच दिनांक 22.07.17 को किया जाना कहकर अनियमितताए बतायी गई जबकि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितताऍ नहीं की गई थी। डीलर के पास दिनांक 01.09.16 से दिनांक 22.07.17 की अवधि में कुल 9040 लीटर केरोसीन प्राप्त करना कहा जा रहा है तथा 1490 लीटर केरोसीन पहले से पोते था उसे देखा ही नहीं गया। अगर उसे देख लिया जाता तो एक भी लीटर केरोसीन कम या ज्यादा नहीं था। केरोसीन का व्यवसाय सही किया गया जॉच के दिन

भौतिक सत्यापन करने पर केरोसीन 0 लीटर पोते पाया गया इसी प्रकार दुकानदार के पास दिनांक 01.09.16 से दिनांक 22.07.17 तक की अवधि में कुल 103 क्विंटल चीनी प्राप्त होना पाया गया। डीलर द्वारा उक्त अवधि में पोस मशीन के माध्यम से 83.11 क्विंटल चीनी का वितरण किया जाना कहा जा रहा है तो उसके बाद से 19.89 क्विंटल चीनी डीलर के पास पोते होनी चाहिये थी जबक डीलर के पास 40 किलो चीनी ही पोते होना कहा जा रहा हैं। इस प्रकार 19.49 क्विंटल चीन कम पायी गई जबकि वास्तविकता यह है कि जॉच दल द्वारा मौके पर निरीक्षण नहीं किया गया व बरसात का समय होने से जल्दबाजी में खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये व कहा गया कि आपके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। मौके पर स्टॉक में रखी सामग्री को ना तो देखा गया था ना उसका वजन ही किया गया था। दिनांक 01.09.16 से 22.07.17 तक कुल 1429 क्विंटल गेहूँ प्राप्त किया और मशीन से 1290.75 क्विंटल गेहूँ का प्राप्त करना कहा जा रहा है व पोस मशीन से 1290.75 क्विंटल गेहूँ का वितरण किया गया व भौतिक सत्यापन पर 138.25 क्विंटल गेहूँ स्टॉक में उपलब्ध होना बताया लेकिन भौतिक सत्यापन पर कोई गेहूँ नहीं मिलना बताया। केरोसीन को भी स्टॉक में था उसे नापा व तोला नहीं गया था। रेकर्ड का निरीक्षण जॉच दल द्वारा नहीं किया गया। चीनी का भी मौके पर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। केवल अपीलान्ट पर असत्य आरोप लगाये गये। जबकि मौके पर गेहूँ केरोसीन व चीनी का सही स्टॉक उपलब्ध था। जॉच दल द्वारा ना सही निरीक्षण किया गया ना ही रजिस्टर का अवलोकन किया गया कारण बताओ नोटिस विपक्षी को दिया गया तथा विपक्षी ने जवाब पेश किया कि उपभोक्ता के गोदाम को ना तो चेक किया गया ना ही स्टॉक रजिस्टर से मिलान ही किया गया। मौके पर एक किलो भी चीनी या गेहूँ कम नहीं था व एक लीटर केरोसीन भी कम नहीं पाया गया। स्टॉक रजिस्टर मांगने पर उसी समय जॉच दल को उपलब्ध करा दिये गये थे। यहॉ तक कि पोस मशीन भी उन्हें उसी

समय सिपुर्द कर दी गई थी। डीलर के खिलाफ जानबुझकर गलत एफआईआर दर्ज करायी गई हैं। डीलर ने कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के किसी भी खण्ड का उल्लंघन नहीं किया गया है व खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4, 5, 11, 17 सी का उल्लंघन नहीं किया गया है व इस आधार पर अपीलान्ट का उचित मुल्य की दुकान की प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय न्याय व विधि के विपरीत होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के हैं। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लघन नहीं किया हैं। निरीक्षण दल द्वारा बिना रेकार्ड का अवलोकन किये केस बनाया गया हैं। मात्र कयासी आधारो पर वास्तविक स्थिति के विपरीत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारीत कर दिया गया। अपीलार्थी को मात्र निरीक्षण दल द्वारा खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा दिये। अपीलान्ट का लाईसेंन्स पुराना हैं। उसके विरूद्ध आज दिन तक कोई वितरण व्यवस्था के संबंध में कोई शिकायत नहीं हुई नाही कभी कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.18 का निरस्त फरमाया जाकर पुनः वितरण व्यवस्था प्रदान की जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 22.07.17 को अपीलार्थी की उचित मुल्य की दुकान पलोदड़ा का निरीक्षण किया गया। जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध 1488 लीटर केरोसीन

अधिक वितरण करना बताया गया। गेहूँ का स्टॉक सही पाया गया। चीनी का 19.49 क्विंटल कम पाया जाना बताया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि निरीक्षण दल द्वारा पूर्व पोते केरोसीन 1490 लीटर को जॉच में शामिल नहीं कर पूर्व का केरोसीन 1490 लीटर को देखा ही नहीं गया और भौतिक सत्यापन करने पर 0 लीटर केरोसीन पोते पाया जाना बताया। इसी प्रकार अपीलार्थी के पास दिनांक 01.09.16 से दिनांक 22.07.17 तक की अवधि में कुल 103 क्विंटल चीनी प्राप्त होना पाया गया। जिसमें से पोस मशीन के माध्यम से 83.11 क्विंटल चीनी का वितरण किया जाना कहा जा रहा हैं। और उसके बाद से 19.89 क्विंटल चीनी डीलर के पास पोते होनी चाहिये थी जबकि डीलर के पास 40 किलो चीनी ही पोते होना कहा जा रहा हैं। इस प्रकार 19.49 क्विंटल चीनी कम पायी गई जबकि वास्तविकता यह है कि जॉच दल द्वारा मौके पर निरीक्षण नहीं किया गया मात्र अपीलार्थी से खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा दिये गये एवं कहा गया कि उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। मौके पर स्टॉक में रखी सामग्री को ना तो देखा गया था ना उसका वजन ही किया गया था। जॉच दल द्वारा अपीलान्ट पर असत्य आरोप लगाये गये हैं। जबकि मौके पर गेहूँ केरोसीन व चीनी का सही स्टॉक उपलब्ध था। मौके पर उपलब्ध स्टॉक के मुकाबले स्टॉक रजिस्टर से भी मिलान नहीं किया गया। निरीक्षण दल द्वारा स्टॉक रजिस्टर मांगने पर उसी समय उपलब्ध करा दिया गया। पोस मशीन भी सिपुर्द कर दी गई। डीलर के खिलाफ जानबुझकर गलत एफआईआर दर्ज करायी गई हैं। प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है इसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक स्थिति का आंकलन किये बिना प्राधिकार पत्र खारीज कर दिया गया। जो काबिल निरस्त के हैं। अतः अपीलार्थी को पुनः वितरण व्यवस्था प्रदान करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.18 को निरस्त फरमाया जावें। अपनी बहस की ताईद में ईएफआर 2011 (1) पेज 152,

ईएफआर 2011 (1) पेज 18, ईएफआर 2011 (1) पेज 562, ईएफआर 2011 (1) पेज 565, ईएफआर 2010 (1) पेज 193 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि दिनांक 22.07.17 को खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा अपीलान्ट की उचित मुल्य की दुकान पलोदड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिनांक 01.09.16 से 22.07.17 की अवधि में गेहू चीनी व केरोसीन का प्राप्त, वितरण एवं शेष का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गेहूँ प्राप्त वितरण व शेष स्टॉक के मुकाबले भौतिक सत्यापन पर सही पाया गया। परन्तु इस अवधि में कुल 9040 लीटर केरोसीन प्राप्त होना पाया गया। परन्तु डीलर द्वारा पोस मशीन के माध्यम से 10528 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा कुल प्राप्त मात्रा से 1488 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण किया गया। वक्त निरीक्षण थोक विक्रेता द्वारा सेन्टर पर माह सितम्बर 2016 में जो केरोसीन उपलब्ध करवाया गया था उसको भी निरीक्षण में सम्मिलित कर लिया गया था। इसी प्रकार डीलर के पास चीनी का स्टॉक 19.89 क्विंटल होना चाहिये था जबकि मौके पर 40 किलो ही चीनी उपलब्ध मिली। इस प्रकार 19.49 क्विंटल चीनी स्टॉक के मुकाबले कम पायी गई। डीलर द्वारा मौके पर चीनी गेहूँ एवं केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर वास्ते जॉच प्रस्तुत नहीं किये गये। जो कथन अपील में किये गये है कि मांगते ही स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध करा दिये गये वे कथन पुर्णतया असत्य हैं। सितम्बर 2016 का प्रारम्भिक स्टॉक डीलर द्वारा बताया भी नहीं था। निरीक्षण अवधि में वितरण की सूचना भी निरीक्षण दल द्वारा नेट के माध्यम से पोस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट प्राप्त की गई। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का भी उल्लंघन किया गया। डीलर द्वारा जो भी कथन अपने अपील मेमो में किये गये है वह आधारहीन हैं। जॉच

दल द्वारा दुकान का विस्तृत निरीक्षण कर ही जो अनियमिताएँ थी वह डीलर को मौके पर ही बताकर पर्चे मौके पर डीलर के हस्ताक्षर करवाये गये। किसी खाली कागज पर कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। निरीक्षण के पश्चात् डीलर द्वारा जॉच में जो चीनी कम पायी गई उसका मैनेज कर वैकल्पिक व्यवस्था डीलर को चार्ज में दी जाना पाया गया हैं। स्टॉक रजिस्टर बाद में भी प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस थाना जावरमाईन्स में 88/17 प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गई। जिसमें उचित मुल्य दुकानदार को दोषी मानकर उसके विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। जो वर्तमान में जैर ट्रायल हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश न्यायोचित होने से बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि वक्त निरीक्षण अपीलार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे माह सितम्बर 2016 की पोते स्टॉक पोजीशन का ज्ञान निरीक्षण दल को नहीं हो सका। बाद में भी स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गेहूॅ केरोसीन व चीनी के स्टॉक रजिस्टरो की छायाप्रति प्रस्तुत की गई हैं। इन स्टॉक रजिस्टरो को किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न स्टॉक रजिस्टर की छायाप्रतियों को सत्य नहीं माना जा सकता हैं। यदि डीलर के पास में पूर्व का केरोसीन वगैरा पोते होता तो निरीक्षण दल को स्टॉक रजिस्टर मौके पर ही उपलब्ध करा देता। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसंधान में थानाधिकारी पुलिस थाना जावरमाईन्स द्वारा भी अपीलान्ट को 3/7 ईसी एक्ट का दोषी माना हैं एवं अपीलार्थी के विरूद्ध

सीजेएम उदयपुर में चालान प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में जैर ट्रायल न्यायालय में होना थानाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 4151 दिनांक 09.10.18 से बताया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट साबित होता है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 43/17 रसद में अपीलार्थी के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10.05.18 विधिवत होकर न्यायोचित हैं। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना मैं उचित नहीं मानता हुं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.18 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाता हैं एवं अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर